# प्रेस विज्ञप्ति

29 जुलाई, 2016

**रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया :–**

**''मोदी सरकार के 15 महीने में दाल में ढाई लाख करोड़ की लूट की गई।**

मोदी सरकार के 15 महीनों यानि अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 में भारत की आम जनता ने दालों के लिए 150% से 200% ज्यादा पैसे दिए। इस धांधली में जमाखोरों और दलालों ने सरकार की सरपरस्ती के चलते 2,50,000 करोड़ रु. से ज्यादा जनता की जेब से लूट लिए। दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य/आयात मूल्य मात्र 40–45 रु. प्रति किलो है। लेकिन कालाबाजारी, मुनाफाखोर एवं दलाल दालों को 150 से 200 रु. प्रति किलो बेचकर आम भारतीयों का पैसा लूट रहे हैं और सरकार आंख मूंदकर चुपचाप बैठी हुई है।

दालों के दाम और प्रधानमंत्री जी आजकल एक ही स्वभाव के हो गए हैं। दोनों आसमान से बातें करते हैं।

प्रधानमंत्रीजी कहते हैं, ''मेरे यहाँ दलालों की दाल नहीं गलती''। मगर प्रधानमंत्रीजी, आपकी सरकार में ये कुकर की सीटियाँ क्यों सुनाई दे रही हैं? किन बड़े जमाखारों की दाल गला रही है सरकार?

देश का आम नागरिक सरकार से जानना चाहता है :–

आखिर कालाबाजारी, दलाल एवं मुनाफाखोरों को 150 से 200 रु. प्रति किलो दाल बेचने की की अनुमति कौन दे रहा है?

देश के नागरिकों से लूटा गया यह पैसा कहां जा रहा है?

इस धांधली से कौन–कौन फायदा कमा रहा है?

**निम्नलिखित तथ्य कई बातें साफ करते हैं :–**

1. हमारे देश में हर साल 23 मिलियन टन यानि 2.30 करोड़ टन दाल की खपत होती है। इनमें अरहर (तुअर), मूंग, मसूर, उड़द, चना आदि शामिल हैं। भारत में प्रतिवर्ष 17–19 मिलियन टन दाल का उत्पादन होता है एवं बाकी 4–6 मिलियन टन का आयात होता है।
2. कांग्रेस पार्टी ने देश में ही दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था की थी, जिससे देश में दालों का उत्पादन बढ़ रहा था। लेकिन **संलग्नक A-1** में दाल उत्पादन के चार्ट से यह बात साफ हो जाती है कि मोदी सरकार के दो सालों के काम में दालों के उत्पादन में 2013–14 के मुकाबले 2015–16 में 20,17,000 टन की कमी आई। **संलग्नक A-2** में दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि दर्शाई गई है।
3. **(i)** संलग्नक A-2 में भारत में पैदा की गई दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नजर डालने से सरकार की दोहरी चाल साफ हो जाती है। देश के अन्नदाता किसानों को मिलने वाला

दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50–55 रु. प्रति किलो है। अगर इसमें 5 रुपये प्रति किलो प्रोसेसिंग, 5 रुपये प्रति किलो ट्रांसपोर्टेशन और 5 रुपये प्रति किलो मुनाफा भी जोड़ दिया जाए, तो भी दाल की कीमत 65–70 रुपये किलो से अधिक नहीं बनती।

**(ii)** इसी तरह, आयातित दाल का औसत मूल्य साल 2013–14 में 34.73 रु. प्रति किलो, साल 2014–15 में 37.32 रु. प्रति किलो एवं साल 2015–16 में 41.80 रु. प्रति किलो था, जो नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट है :–

| Year | Quantity In Quintals | Price paid (Rupees in Crore) | Average Price (Rupees per kg) |
|---|---|---|---|
| **2013-14** | 3,17,82,641.86 | 11,038.15 | 34.73 |
| **2014-15** | 4,00,19,657.82 | 14,395.52 | 37.32 |
| **2015-16** | 5,33,50,336.71 | 22,300.97 | 41.80 |

साल 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए विस्तृत चार्ट, जिनमें आयात की गई मात्रा, भुगतान किया गया पैसा एवं जिन देशों से आयात किया गया, उनके नाम दिए गए हैं, क्रमशः **संलग्नक A-3, A-4 एवं A-5** में लगे हैं।

अगर इसमें 5 रुपये प्रति किलो प्रोसेसिंग, 10 रुपये प्रति किलो ट्रांसपोर्टेशन और 10% प्रति किलो मुनाफा भी जोड़ दिया जाए, तो भी दाल की कीमत 65 रुपये किलो से अधिक नहीं बनती।

**(iii)** 3(i) एवं 3(ii) से साफ है कि देश में पैदा की गई एवं आयात की गई दाल का मूल्य प्रोसेसिंग शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन और मुनाफा जोड़ने के बाद भी किसी भी तरह से 65/70 रु. प्रति किलो से ज्यादा नहीं हो सकता है।

लेकिन इसके बावजूद अप्रैल 2015 से लेकर आज, यानि जुलाई, 2016 तक दालों का मूल्य लगातार 130 रु. प्रतिकिलो से लेकर 200 रु. प्रतिकिलो के बीच बना हुआ है। इसलिए दाल पिछले 15 महीनों में औसतन 150 रु. प्रतिकिलो की दर से बिकी है।

4. 65 रुपया किलो की दाल को जब बाजार में 150 रु. प्रति किलो से बेचा जाएगा, तो हर किलो दाल में 80–85 रु. किलो का नाजायज़ मुनाफा है। **इस प्रकार पिछले 15 महीने में यानि अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2016 के बीच मुनाफाखोरों व दलालों ने सरकार की नाक के नीचे दाल के दामों से 2,50,000 करोड़ रु. का नाजायज मुनाफा कमाया।** इस मुनाफे में मई, 2014 में दालों के दामों में 74 रु. प्रति किलो से लेकर मार्च, 2015 में 100 रु. प्रतिकिलो तक की बढ़ोत्तरी शामिल नहीं है।

**क्या गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दालों की स्टॉक लिमिट की सीमा को समाप्त करने से भारत में दालों की गैरकानूनी जमाखोरी को बढ़ावा मिला है?**

**गुजरात** – गुजरात सरकार ने 30.09.2013 को उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दालों की स्टॉक सीमा पर प्रतिबंध को हटा दिया। 27.09.2013 को यूपीए सरकार ने दालों, खाद्य तेलों एवं खाद्य तेल के बीजों पर प्रतिबंध की सीमा को एक साल बढ़ाए जाने, यानि 30.09.3013 से 30.09.2014 तक किए जाने का फैसला किया था। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुजरात सरकार ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया, इसके बावजूद कि गुजरात सरकार के डायरेक्टर, फूड एण्ड सिविल सप्लाईज़ ने स्टॉक लिमिट को जारी रखने की सिफारिश की थी। यह आरटीआई के तहत उपलब्ध दस्तावेजों की प्रति से साफ है। दस्तावेजों की प्रति के साथ एक संक्षिप्त नोट **संलग्नक A-6** में संलग्न है। वर्तमान एनडीए सरकार ने भी 28.09.2015 को 30.09.2016 तक दालों, खाद्य तेलों एवं खाद्य तेल के बीजों पर स्टॉक की सीमा तय करने के लिए एक आदेश जारी किया है। फिर मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसे मानने से क्यों इंकार कर दिया था? क्या इससे सीधे जमाखोरों को प्रोत्साहन नहीं मिला?

**महाराष्ट्र** – इसी तरह महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने दिनांक 23.04.2015 को एक आदेश जारी करके दालों के भंडारण पर स्टॉक की सीमा को हटा दिया, जिससे कांग्रेस सरकार द्वारा सात सालों से लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो गया। यह राज्य सरकार द्वारा छल से किया गया, क्योंकि दिनांक 11.02.2015 को सचिव, फूड एवं सिविल सप्लाईज़, महाराष्ट्र सरकार के आदेश में केवल खाद्य तेल एवं खाद्य तेल के बीजों से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी। 14.02.2015 को इसमें दालों को भी जोड़ दिया गया, जिसे 18.03.2015 को मुख्यमंत्री, श्री देवेंद्र फड़नवीस ने अनुमति दे मोहर लगा दी। इस संबंध में एक नोट **संलग्नक A-7** में दिया गया है। काफी शोरगुल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 20.10.2015 को दोबारा स्टॉक सीमा लागू कर दी।

गुजरात एवं महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में 'नो स्टॉक लिमिट' के चलते जमाखोरों एवं काला बाजारियों को दालों की जमाखोरी करके उनकी कीमत 150 रु. प्रति किलो से 200 रु. प्रतिकिलो तक बढ़ाने का मौका मिल गया।

**आम भारतीयों से की जा रही पैसे की इस लूट में क्या मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है?**

जमाखोरों/आयातकों/चुनिंदा कॉर्पोरेट्स की मिलीभगत से दालों के दाम बढ़े हैं। इस मामले में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की जरूरत है, लेकिन निम्नलिखित बातें साफ हैं :–

i. भारत में जमाखोरों और आयातकों के जाल बर्मा एवं अफ्रीकी देशों तक फैले हैं। इनके काम करने का तरीका बहुत सरल है। वो दालों का आयात करते हैं और विदेशी बंदरगाहों पर उन्हें रोककर रखते हैं। बर्मा से आने वाले जहाजों को सिंगापुर में रोक लिया जाता है। अफ्रीकी देशों से आने वाले जहाजों की गति बहुत धीमी करके उन्हें कई दिनों की देर से बुलाया जाता है। यह सारी गतिविधि भारत में माल की कमी पैदा करने के लिए की जाती है। इसी तरह अलग–अलग राज्यों में जमाखोर गोदामों में दालों को जमा करके रखते हैं। मोदी सरकार की नाक के नीचे यह रैकेट फलफूल रहा है।

ii. गुजरात के कारोबारियों के एक बड़े समूह 'ईटीजीवर्ल्ड', जिसके अध्यक्ष, श्री जयेश पटेल हैं, ने साल, 2015 में मोजाम्बिक से 55 रु. प्रतिकिलो में दाल का आयात किया और आज 175 रु. प्रतिकिलो में बेच दी। अडानी विल्मर पूरी दुनिया के लिए दाल 'ईटीजीवर्ल्ड' से प्राप्त करता है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि अडानी विल्मर ने साल, 2014 में ज्वाईंट वेंचर बनने के बाद देश एवं विदेशों के लिए कितनी दाल खरीदी और उसका बाजार मूल्य क्या था।

अक्टूबर, 2015 में दाल का मूल्य 200 रु. प्रतिकिलो को पार कर गया, अडानी के बंदरगाह एवं 'स्पेशल ईकॉनॉमिक ज़ोन्स' (एपीएसईज़ेड) ने 'इंडियन पल्सेस एण्ड ग्रेन एसोसिएशन' (आईपीजीए) के साथ अपने बंदरगाहों के माध्यम से ही दाल आयात के लिए समझौता किया। अडानी के दो बंदरगाहों– 'मुंद्रा पोर्ट' एवं 'हजीरा पोर्ट' पर दो सालों में किया गया दालों का आयात निम्नलिखित है :–

| **Name of Port** | **Import of Pulses (in Metric Tons)** | |
|---|---|---|
| | **2014-15** | **2015-16** |
| Mundra Port | 2,02,620 | 3,06,246 |
| Hazira Port | 22,143 | 2,00,705 |

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) एवं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने उपरोक्त सब बातों का संज्ञान भी लिया है, रिपोर्ट भी तैयार की गई है, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा क्यों?

प्रधानमंत्रीजी कहते हैं, न खाऊँगा न खाने दूंगा। शायद दाल के लिये ही कहते होंगे क्योंकि ज्यादातर आप विदेश यात्राओं पर रहते हैं और Continental खाते हैं और दाल के भाव इतने बढ़ा दिये कि अब आम लोग भी नहीं खा पाते हैं। इसलिये दाल न खुद खाते हैं और न जनता को खाने दे रहे हैं।